PFRDA/09/01/0001/2022-MWnR **16th Oct 2024**

Policy for Developmental Research Group (DRG) Project

1. Background

1.1 The endeavour of the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) is to promote old age income security with a focus on adequacy, coverage, sustainability and equity. The decision-making focus is evidence based, covering both ex-ante and ex-post analysis.

1.2 PFRDA Act, 2013 mandates that Authority may undertake and commission studies, research and projects by collecting data and requiring intermediaries to collect such data.

1.3 PFRDA has formulated a 'Data Governance Policy' to ensure data authenticity, quality and integrity to promote research in the pension sector. Handbook of National Pension Statistics was released in May 2023, and it is being continuously updated, and can be accessed on the PFRDA website under "Research" section.

1.4 Development Research Group (DRG) initiative has been set up to collaborate with academia for commissioning of studies and research projects.

2. Objective

The objective of DRG Research project shall be to conduct policy-oriented research with a strong analytical and empirical basis. It shall provide inputs to policy formulation, knowledge creation and dissemination. It shall invite proposals from the external researchers.

3. Framework of DRG Research Project

3.1 The researcher(s) may submit proposal either individually or jointly, including officers of the Authority.

3.2 Original research proposals will be accepted. At the time of submission of proposals, the author shall submit a self-declaration stating that the submitted proposal is original and has not been submitted/presented/published elsewhere.

ई-500, 5वीं मंजिल, टॉवर ई, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली – 110029
दूरभाष: 011 - 26517501, 26133730, 26133730 फैक्स: 011 – 26517507, वेबसाइट :www.pfrda.org.in
E-500, 5th Floor, Tower E, World Trade Centre, Nauroji Nagar, New Delhi – 110029
Phone : 011 - 26517501, 26133730 ,26133730 Fax: 011 – 26517507 website: www.pfrda.org.in

Azadi Ka Amrit Mahotsav

4. Eligibility Criteria:

Professors/ Associate Professors/ Assistant Professors in an academic institution of national importance in the areas of Economics, Finance, Business Law, Population and Demography, Statistics, Actuarial Sciences, AI & Machine Learning, Public Policy, Management. The proposals may either be self-initiated or through invitation. The Authority may invite persons of eminence from academia under DRG research initiative.

5. Nodal Dept. for DRG Study

Market Watch and Policy Research Dept. of PFRDA shall act as Nodal Dept. for DRG research project. All the proposals under DRG Series will be received in the said Dept. for further processing.

6. Research Advisory Committee (RAC)

6.1 PFRDA has constituted a Research Advisory Committee (RAC) to evaluate and short-list the proposals, review the mid-term performance and final project report/ study.

6.2 The final study shall be presented in seminar to the Authority and shall initially be published as DRG study of the Authority in the name of the researchers with subsequent effort to publish in academic journal of repute.

7. Duration

The duration of the study shall normally be six months.

8. Award

Each project will carry an all-inclusive award upto Rupees Ten Lakh Only (Rs. 10,00,000/-) (subject to TDS at the applicable rate), depending on the content, quality and publishability of the study.

PFRDA/09/01/0001/2022-MWnR **16th Oct 2024**

विकासात्मक अनुसंधान समूह (डीआरजी) परियोजना के लिए नीति

1. पृष्ठभूमि

1.1 पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा पर्याप्तता, कवरेज, सततता और समानता को केंद्र में रखते हुए वृद्धावस्था आय सुरक्षा की बढ़ोतरी का प्रयास किया जाता है। इस प्रक्रिया में साक्ष्य आधारित निर्णय लिए जाते हैं, जिसमें निर्णय-पूर्व और निर्णय-पश्चात विश्लेषण दोनों शामिल होते हैं।

1.2 पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 में यह प्रावधान किया गया है कि प्राधिकरण स्वयं एवं मध्यवर्तियों द्वारा संग्रहित डेटा के आधार पर अध्ययन, अनुसंधान और परियोजनाओं की शुरूआत और संचालन कर सकता है।

1.3 पीएफआरडीए ने पेंशन क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए डेटा प्रामाणिकता, गुणवत्ता और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए एक 'डेटा गवर्नेंस नीति' तैयार की है। मई 2023 में राष्ट्रीय पेंशन सांख्यिकी हैंडबुक जारी की गई थी, और इसे लगातार अपडेट किया जा रहा है, तथा इसे पीएफआरडीए वेबसाइट पर "अनुसंधान" अनुभाग के अंतर्गत देखा जा सकता है।

1.4 अध्ययन और अनुसंधान परियोजनाओं को आरम्भ करने में शिक्षाविदों का सहयोग प्राप्त करने के लिए विकासात्मक अनुसंधान समूह (डीआरजी) पहल की शुरुआत की गई है।

2. उद्देश्य

डीआरजी अनुसंधान परियोजना का मुख्य उद्देश्य सशक्त विश्लेषणात्मक और अनुभवजन्य आधार पर नीति-उन्मुख अनुसंधान का संचालन करना होगा। यह नीति-निर्माण, ज्ञान-सृजन और उसके प्रचार-प्रसार के लिए इनपुट प्रदान करेगा। यह विशिष्ट शोधकर्ताओं से प्रस्ताव भी आमंत्रित करेगा।

3. डीआरजी अनुसंधान परियोजना की रूपरेखा

3.1 अनुसंधानकर्ता, जिनमें प्राधिकरण के अधिकारी भी शामिल हैं, व्यक्तिगत रूप से अथवा संयुक्त रूप से प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।

ई-500, 5वीं मंजिल, टॉवर ई, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली – 110029
दूरभाष: 011 - 26517501, 26133730, 26133730 फैक्स: 011 – 26517507, वेबसाइट :www.pfrda.org.in
E-500, 5th Floor, Tower E, World Trade Centre, Nauroji Nagar, New Delhi – 110029
Phone : 011 - 26517501, 26133730 ,26133730 Fax: 011 – 26517507 website: www.pfrda.org.in

Azadi Ka Amrit Mahotsav

3.2 केवल मौलिक अनुसंधान प्रस्तावों को ही स्वीकार किया जाएगा। प्रस्ताव जमा करने के दौरान, लेखक द्वारा इस आशय का एक स्व-घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि "यह प्रस्ताव मौलिक है और अन्य किसी स्थान पर प्रस्तुत/प्रदर्शित/प्रकाशित नहीं किया गया है।

4. पात्रता मानक

अर्थशास्त्र, वित्त, व्यवसाय कानून, जनसंख्या और जनसांख्यिकी, सांख्यिकी, बीमांकिक विज्ञान, एआई और मशीन लर्निंग, सार्वजनिक नीति, प्रबंधन के क्षेत्रों में राष्ट्रीय महत्त्व के किसी शैक्षणिक संस्थान में प्रोफेसर / एसोसिएट प्रोफेसर / एसिस्टेंट प्रोफेसर इसके लिए पात्र होंगे। प्रस्तावों का सूत्रपात या तो स्वयं या आमंत्रण के माध्यम से किया जा सकता है। प्राधिकरण ,डीआरजी अनुसंधान पहल के अंतर्गत शैक्षणिक जगत के प्रख्यात व्यक्तियों को आमंत्रित कर सकता है।

5. डीआरजी अध्ययन के लिए नोडल विभाग

पीएफआरडीए का मार्केटवॉच और पॉलिसी रिसर्च विभाग, डीआरजी अनुसंधान परियोजना के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा। डीआरजी श्रृंखला के अंतर्गत सभी आगत प्रस्तावों को उक्त विभाग द्वारा प्राप्त किया जाएगा।

6. अनुसंधान सलाहकार समिति (आरएसी)

6.1 पीएफआरडीए ने प्रस्तावों का मूल्यांकन करने और उनको चयनित करने हेतु एवं मध्यावधि और अंतिम परियोजना प्रदर्शन रिपोर्ट/अध्ययन की समीक्षा करने के लिए एक अनुसंधान सलाहकार समिति (आरएसी) का गठन किया है।

6.2 अंतिम अध्ययन को एक संगोष्ठी में प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और इसे प्रारंभ में शोधार्थियों के नाम पर प्राधिकरण के डीआरजी अध्ययन के रूप में प्रकाशित किया जाएगा और बाद में इसे ख्यातिलब्ध शैक्षणिकपत्रिका में प्रकाशित करने का प्रयास किया जाएगा।

7. अवधि

अध्ययन की अवधि सामान्यतः छह (6) महीने होगी।

8. पुरस्कार

अध्ययन की विषयवस्तु, गुणवत्ता और प्रकाशन योग्य होने पर प्रत्येक परियोजना को दस लाख रुपये (10,00,000/- रुपये) मात्र (लागू दर पर टीडीएस के अध्यधीन) तक का सर्व-समावेशी पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।